[2026:RJ-JD:12735]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2259/2026

Sukhdevram Alais Sukhiya S/o Rughram, Aged About 36 Years, R/o Jajiwal Jakhda, Police Station Banar, District Jodhpur, Rajasthan. (Presently Lodged in Central Jail, Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gokulesh Bohra, Adv. Mr. Sanjay Bishnoi, Adv. Mr. Ramprakash Dudi, Adv. Mr. Vikas Bishnoi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Pawan Kumar Bhati, Asst. GA Mr. Hanuman Bhadoo, Complainant Present in Person

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

17/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना बोरानाड़ा, जिला जोधपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 140(3), 308(2), 115(2), 127(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या लिप्त किया गया है, उसका परिवादी के साथ राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.01.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त

का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

परिवादी हडमानराम पुत्र कंवराराम ने न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थी/अभियुक्त के साथ राजीनामा होना जाहिर किया तथा राजीनामे की प्रति प्रस्तुत की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी ने प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में परिवादी हड़मानराम व प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनके मध्य राजीनामा होने के संबंध में राजीनामे की प्रति प्रस्तुत की गयी है। परिवादी का कथन है कि उसका प्रार्थी/अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है, यदि प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.01.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुखदेवराम उर्फ सुखिया पुत्र रूघाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश

दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Manish Saini/131